Confirmed

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक मई 21, 1988 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : समिति कक्ष, कृषि निदेशालय, लखनऊ ।

समय : सायंकाल 3•00 बजे ।

उपस्थिति :

1•	श्री एस0एस0अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2•	" दिलीप कुमार, सचिव वित्त	सदस्य
3•	" अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि	विशेष आमंत्रित
4•	डा0 परमानन्द मिश्रा, विशेष सचिव शिक्षा	" "
5•	" पी0के0 ओमनवार, सहायक महानिदेशक(एन0ए0आर0पी0),आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली	सदस्य
6•	" डा0 जी0पी0 लोधी, ज्येष्ठ सोरघम ब्रीडर	"
7•	"(श्रीमती) कान्ती देवी	"
8•	श्री अवध राम सचान	"
9•	" राधेश्याम, विधायक	"
10•	" हाफिज मोहम्मद उमर, विधायक	"
11•	" ओ0पी0नेमानी	"
12•	" ए0के0 वर्मा अर्थ नियंत्रक	सचिव

69:1 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक जन0 12, 1988 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने 12•1•1988 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करते समय मद सं0 67:2 के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया और शेष मदों पर लिये गये निर्णयों के आधार पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी :-

67:2 – प्रबन्ध मण्डल की 66वीं बैठक दिनांक 25•9•1987 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल के सम्मानित सदस्यों ने प्रबन्ध मण्डल की जन0 12, 1988 की बैठक की मद सं0 66:57 के अन्तर्गत डा0 एच0जी0सिंह को अधिष्ठाता,कृषि संकाय के पद पर स्थायी किये जाने के मामले को उठाते हुये कहा कि डा0 सिंह का अधिष्ठाता के पद पर स्थायीकरण विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा-17(4) के प्राविधानों के विरुद्ध है क्योंकि अधिष्ठाताओं का चुनाव निर्धारित अवधि के लिये होना चाहिये । सम्यक विचारोपरान्त

----2/-

प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुये निर्णय लिया कि डा० सिंह के स्थायीकरण के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अधिष्ठाता का कार्यकाल विश्वविद्यालय में 3 वर्ष की अवधि के लिये माना जावे एवं डा० एच०जी०सिंह से, विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यवस्था होने तक, 30 जून, 1988 तक अधिष्ठाता, कृषि संकाय का कार्य लिया जाये । 30 जून 1988 के पूर्व अधिष्ठाता, कृषि संकाय का चुनाव कृषि संकाय के प्राध्यापक एवं अध्यक्षों में से कर लिया जाये ।

69:2 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 28 फरवरी, 1988 को सम्पन्न हुयी आवश्यक बैठक (इमर्जेन्ट बैठक) की कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बैठक की कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

69:3 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 12•1•1988 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही की विवेचना करते समय निम्नलिखित 2 मदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया और शेष मदों पर कृत कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

67:6- डा० राम इकबाल सिंह, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र के स्थान पर डा० दल श्रृंगार सिंह, जो उसी विभाग में कार्यरत थे, ने वर्ष 1979 इन्टर कृषि अर्थशास्त्र की परीक्षा में परीक्षक के रूप में कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने असंतोष व्यक्त किया कि प्रशासन ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नही लिया है और यह निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी के दोषी पाये जाने की दशा में उनके विरूद्ध 10 दिन के अन्दर उचित कार्यवाही करके प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया जाये ।

~~प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव के मद सं0 67:14(4) पर कृत कार्यवाही~~

------3/-

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव के मद सं0 67:14§4§ पर कृत कार्यवाही पर विचार किया और विचारोपरान्त राइस मिल योजना के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 29.10.1984 के अनुपालन में 12.1.1988 को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट जिसमें श्री टी0सी0मिश्रा के विरुद्ध गम्भीर आरोप पाये गये है तथा श्री मिश्रा द्वारा 13.1.1985 को विश्वविद्यालय की कथित रु01042-10 पै0 §नकद§ तथा बैंक ड्राफ्ट्स उनके घर पर प्राप्त हो जाने के बावजूद इस राशि के स्वयं के द्वारा गबन करके एवं कुलपति एवं अन्य अधिकारियों को गलत सूचना देना कि ये उक्त दिनांक को उनके कार्यालय में हुई मारपीट के दौरान लूट लिया गया, की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि श्री मिश्रा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

69:4 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की आवश्यक बैठक§इमर्जेन्ट मीटिंग§, जो गत 28 फरवरी 1988 को कानपुर प्रांगण में सम्पन्न हुयी थी, में प्रस्तुत प्रस्ताव में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बैठक की कृत कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

69:5 विश्वविद्यालय में एक पद उप कुलसचिव§डिप्टी रजिस्ट्रार§ वेतनमान रु0 1000-1900 में सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

69:6 / 69:5§18§ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय शोध केन्द्र,दलीपनगर §कानपुर§ एवं उपकेन्द्र सैनी, इलाहाबाद को सुदृढीकरण योजनाओं का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उपसमिति की निम्नलिखित अनुशंसा पर विचार किया :-

§1§ योजना के अन्तर्गत प्राविधानित शैक्षिक पदों को नानप्लान योजनाओं में कार्यरत स्टाफ को स्थानान्तरित करके भरा जाये और स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप आयोजनेत्तर योजनाओं में रिक्त होने वाले पदों को Abeyance में रखा जाये ।

§2§ योजना के अन्तर्गत प्राविधानित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को, वर्तमान समय में आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में कार्यरत स्टाफ को स्थानान्तरित करके भरने की feasibility examine की जाये तथा जैसे ही यह कार्यवाही पूरी हो जाये उसे वित्त उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और तब तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा न जाये ।

उक्त अनुशंसा के प्रस्तर-2 में शैक्षिक पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में यह संशोधन किया गया कि नान-प्लान योजनाओं में वांछित Discipline के अध्यापकों के उपलब्ध होने की दशा में ही प्रश्नगत योजना में उनको स्थानान्तरित करके और नान-प्लान योजना के तत्सम्बन्धी पद Abeyance में रखे जायें। वित्त उपसमिति की अन्य अनुशंसा अनुमोदित कर दी गयी।

समयाभाव के कारण अन्य प्रस्तावों पर आगामी बैठक के लिये विचार स्थगित कर दिया गया। (जिनकी सूची संलग्न है।)

xxx

अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबंध मण्डल

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबंध मण्डल